

गो. इ. १३३/१८
में जारी है

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जन १९५६

नम्बर व तारीख जहाँकान
जो इस हुकम की तारीख
में जारी हुए

8-1-25

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित प्रकरण में
वकील वादी साक्ष्य हेतु गवाह पेश करने का अवसर
चाहते हैं पूर्व में अन्तिम अवसर इस निर्देश के साथ
दिया गया था कि आईन्दा पेशी पर साक्ष्य हेतु वादी
गवाह पेश नहीं किये गये तो अवसर बन्द समझा जावेगा
किन्तु इस निर्देश के पर्याप्त भी न्यायालय आदेश
कि यालना नहीं कि गई, इस लिय प्रकरण में साक्ष्य
वादी पेश नहीं करने से साक्ष्यवादी पेश करने का अवसर
बन्द किया जाता है। प्रकरण में साक्ष्य वादी बन्द होने
से दस्तावेज प्रदर्शनी नहीं हो सके हैं। प्रकरण में जब
दस्तावेज प्रदर्शनी नहीं हुए हैं तो दस्तावेज रिकार्ड पर
नहीं आये हैं। प्रकरण में दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं आये
हैं तो ऐसी स्थिति में दावा चलने योग्य नहीं है। अतः
वादी का वाद साक्ष्य व दस्तावेज के अभाव में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फौजदारी नुमांदा होकर नम्बर
से कम हो।

WY